

अंतिम डिक्री व मुकदमें इक्वाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मनीराम बनाम उमराव

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 55/2022

पेश करने की दिनांक - 08.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम भटियानी के खसरा नम्बर 2099/1, 2127/1, 2129/1, 2129/4146/1 रकबा कमशः 3.9375, 0.5125, 0.7075, 1.00 की आराजी का खातेदार वादी मनीराम पुत्र चावण्डा को, हासल खसरा नम्बर 2099/2, 2127/2, 2129/2, 2129/4146/2 रकबा कमशः 11.8125, 1.5375, 2.1225, 3.00 की आराजी का खातेदार प्रतिवादी उमराव पुत्र पन्ना, रामधन पुत्र चावण्डा, श्योजी पुत्र चावण्डा ब.हि.ब. को घोषित किया जाता है। बैंक ररहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार ररहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक----- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २९ माह ४ सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अ. नसीराबाद (अजमेर)

